तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
25/4/2022	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में वहस वकील वादी सुनी गई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद लम्बित अभिलेख दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु.न.	आर.सी.एस न0	तारीख रजू
13/11	2011/00033	02.02.2011

पीठासीन अधिकारीः— श्री धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1.शिम्भूदयाल
2.नरेश | पुत्रान स्व. जमुना लाल जाति ब्राहम्ण नि. बरपाडा करौली
— वादीगण

बनाम

1.रामसहाय पुत्र धर्मी जाति गुर्जर
2.श्रीमति कडई देवी पत्नि रामसहाय जाति गुर्जर
3.हेतराम
4.पीतम
5.लाखन | पुत्रान रामसहाय गुर्जर
सभी निवासीयान टीकतपुरा तहसील व जिला करौली

6.गुलाब कौर पत्नि जयनारायण जाति गुर्जर
7.पूरन पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर
8.जयनारायण पुत्र नामालूम जाति गुर्जर
निवासीयान गुजरभावली तहसील व जिलाकरौली

9.हाकिम पुत्र करनसिंह गुर्जर नि. टीकतपुरा तहसील व जिला करौली
——— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 25.04.2022

Scanned with CamScanner

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख.नं. 570,571/1, 572,609,613,616,617,618,619,620,621, कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम करौली तह.व जिला करौली में स्थित है। जो वादीगण के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें वादीगण के ताउ के लडके मेधावी व भाई रामदयाल,गोपाल माँ चिरोंजी का हक व हिस्सा है जिसमें हम वादीगण संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है और मौके पर काबिज है दीगर हिस्सेकारान व सिलसिले रोजगार बाहर रिहायश कर रहे है जिनकी ओर से वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है और दावा करने बावत् उनकी सहमति है।ख.नं. 570,571/1 से सटेमा ख.नं. 565,566 मालियों के खातेदारी व कब्जे काश्त की है इन नम्बरों के मध्य में होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग करौली द्वारा निर्मित पक्की सडक डामर करौली हिण्डौन निकली हुई है और ख.नं.565,566 की भूमि व सडक व सरकारी पुलिया बनी हुई है और बाकी रकबा सडक में जा चुका है वादीगण का ख.नं. 571/1 व 570 ख.नं.565,566 से करीब 14-15 फुट उँचा है ख.नं.565,566 वादीगण के खाते की उक्त दोनो नम्बरो से नीचे है वादीगण के ख.नं.570,571/1 के रकबे के सटेमा ख.नं. 565,566 की भूमि डेढ दो बिस्वा रहती है शेष सडक के दूसरी तरफ हैं प्रतिवादीगण सहजोर व लडाकू किस्म के व्यक्ति है दिनांक 29.01.2011 को सभी लोग एक राय होकर टैक्टर जे.सी.वी. ले आये और आते ही वादीगण के खेत ख.नं.570,571/1 की मिट्टी को तोडकर अपने खेत ख.नं. 565,566 की ओर मिलाने के लिए टेक्टर चलाना प्रारम्भ किया जिस पर वादीगण ने मना किया कि यह जमीन वादीगण की है आप प्रतिवादीगण इसमें टैक्टर व जे.सी.वी. नही चलावे तो वह इन्कार हो गये जिस पर वादीगण ने थाना करौली में रिपोर्ट की। जिस पर पुलिस थाना करौली ने जाप्ता भेजकर प्रतिवादीगण को रोका पुलिस द्वारा रोकने के बावजूद प्रतिवादीगण पुनः टेक्टर लेकर वादीगण के खेत की मिट्टी को तोड रहे है प्रतिवादीगण का यह कृत्य हकूक वादीगण पर भारी कुठाराघात है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण के बावजूद तामील उपस्थित [illegible] पर दिनांक 29.3.2011, दिनांक 1.02.2016 को प्रतिवादी सं 4व5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के आदेश दिये गये है एवं प्रतिवादी नं.8 का नाम दावा से दिनांक 21.06.2017 को हजफ किया गया है एवं प्रतिवादी नं. 1,2,3,6,7,9 का दिनांक 16.06.17 को जवाव दावा वाद किये जाने के आदेश दिये गये है एवं दि. 21.06.17 को प्रतिवादी नं. 1ता3,6,7,9 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

साक्ष्य वादीगण एक पक्षीय की गयी ।वादीगण ने अपनी मोखिक साक्ष्य में वादी शिम्भूदयाल के वयान लेखवद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमावंदी सम्वत् 2064 से 2067 प्रदर्श–2 9 3 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1 को प्रर्दर्शित कराया है साक्ष्य वादीगण वन्द की गयी।

वहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का वहस में कथन है कि आराजीयात वादग्रस्त वादीगण के सहखातेदारी व कब्जे काश्त की है सहखातेदारान व रोजगार वाहर रिहायश करते है जिनकी ओर से दावा करने की उनकी सहमति है। ख.नं. 570,571/1 से ख.नं. 565,566 जो मालियों के खातेदारी की भूमि हैं लगी हुयी है ख.नं. 565,566 को सडक हिण्डौन करौली निर्माण हो चुकी है।वादीगण की भूमि ख.नं. 570,571/1 ख.नं. 565,566 से 14–15 उॅची है। प्रतिवादीगण दि.29.1.2011 को टैक्टर जे.सी.वी. लेकर एकराय होकर आ गये और वादीगण के खातेदारी की भूमि ख.न. 565,566 की मिट्‌टी को तोडने लग गये वादीगण ने मना किया तो नही माने तव वादीगण ने पुलिस थाना करौली में रिपोर्ट की तव पुलिस द्वारा मिट्‌टी काटने से रोका पुलिस के जाने के बाद प्रतिवादीगण टैक्टर से पुनः मिट्‌टी काटने लग गये तव वादीगण ने यह दावा पेश किया प्रतिवादी की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर आघात है वादीगण ने अपने दावा को भौतिक साक्ष्य वादी शिम्भूदयाल व दस्तावेजी साक्ष्य जमावन्दी सम्वत् 2064 से 2067 प्रदर्श–2013 से साबित किया है वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के हकदार है। दावा वादीगण ड्रिकी किया जावे।

वहस वकील वादीगण एक पक्षीय का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी सम्वत 2064 से 2067 प्रदर्श–2 से वादग्रस्त भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी की [illegible] वादी शिम्भूदयाल की साक्ष्य से वादीगण के कब्जे का[illegible] से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही होना साबित [illegible] वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मिट्टी को तोडकर भूमि वादीगण को नुकसान किये जाने पर वादीगण के खातेदारी हकों पर आघात होगा जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति व असुविधा अवश्य ही पैदा होगी वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार व अधिकारी है दावा वादीगण ड्रिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण ड्रिकी किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी ख.नं.570 रकबा 1 विस्वा, ख.नं.571/1 रकवा 01 बीघा 04 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं.8 तहसील करौली में किसी भी प्रकार से तोड फोड नही करे ना ही कोई निर्माण कार्य करें ना ही टैक्टर जे.सी.बी. व फावडो से मिट्टी को नही काटे ना खोदे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत मजाहमत नही करे। ना ही किसी अन्य से करावे तदानुसार पर्चा ड्रिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/4/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner